कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता,
(शासकीय स्वशासी संस्था)
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

कार्यालय दूरभाष नं. : 07662-241655 | ई-मेल : ssmc-rewa@mp.gov.in
फैक्स नं. : 07662-251167 | वेबसाइट : www.ssmcrewa.com

क्रमांक/ 5460 /पैरामेडि./एम.सी./2022 रीवा, दिनांक : 7/3/22

-:: शुद्धि पत्र ::-

कार्यालय अधिष्ठाता श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा द्वारा पैरामेडिकल पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2021-22 में प्रवेश हेतु जारी विज्ञापन क्रमांक 3323/पैरामेडिकल/एम.सी./2022 रीवा, दिनांक 07.02.2022 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

बिन्दु क्रमांक II(d) : दिव्यांग प्रवर्ग - ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी, जो म.प्र. के मूल निवासी हैं, उनके लिए शासन के नियमानुसार संबंधित संवर्ग में 5% सीटें आरक्षित रहेंगी। यह आरक्षण क्षैतिज होगा। RPWD Act, 2016 अन्तर्गत उल्लेखित 21 बेंचमार्क दिव्यांगता 40% से 70% के उम्मीदवारों को ही दिव्यांग प्रवर्ग हेतु पात्र माना जायेगा।

बिन्दु क्रमांक V(10) : पाठ्यक्रमों का आवंटन मेरिट के आधार पर किया जावेगा। मेरिट का निर्धारिण निम्नानुसार किया जावेगा :-

- POST GRADUATE DEGREE (MMLT) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु मेरिट का निर्धारण स्नातक BMLT में प्राप्त अंकों आधार पर किया जावेगा।
- P.G. DIPLOMA IN PERFUSION TECHNOLOGY पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु मेरिट का निर्धारण स्नातक B.Sc. (CBZ) में प्राप्त अंकों आधार पर किया जावेगा।
- अन्य डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु मेरिट का निर्धारण हायर सेकण्ड्री (10+2) की परीक्षा में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं अन्य दो विषयों (भाषा) में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर किया जावेगा। अंक समान होने की स्थिति में उम्र में वरिष्ठ आवेदक को वरीयता दी जायेगी। यदि अंक एवं उम्र समान पायी जाती है तो वरीयता क्रम में जीव विज्ञान विषय में अधिक अंक रखने वाले आवेदक को वरीयता दी जाएगी।

बिन्दु क्रमांक V(14) : में इस प्रकार संशोधन किया जाता है - निम्नलिखित अनुक्रम में मेरिट के आधार पर सीट आवंटन की कार्यवाही की जावेगी :-

1. सर्व प्रथम विभागीय कर्मचारियों हेतु आरक्षित सीटों को शासन नियमानुसार लम्बवत एवं क्षैतिज आरक्षण का पालन करते हुए आवंटन किया जावेगा। विभागीय कर्मचारियों हेतु आरक्षित सीटों के सामेकित संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर रिक्तियों को ओपन कोटा में उसी वर्ग/श्रेणी में समाहित किया जावेगा।
2. तत्पश्चात ओपन कोटा की सीटों पर शासन नियमानुसार लम्बवत एवं क्षैतिज आरक्षण का पालन करते हुए आवंटन किया जावेगा।

क्रमशः पेज 02...

3. प्रथम चक्र आवंटन उपरान्त आरक्षित श्रेणी में उपलब्ध रिक्तियों को भरने हेतु निम्नानुसार चक्र का पालन किया जावेगा :-

a) एस.टी. श्रेणी की खाली सीटों को एस.सी. श्रेणी के आवेदकों द्वारा भरा जाएगा।

b) एस.सी. श्रेणी की खाली सीटों को एस.टी. श्रेणी के आवेदकों द्वारा भरा जाएगा।

c) अगर एस.टी. और एस.सी. श्रेणी में आरक्षण के लिए योग्य आवेदक उपलब्ध नहीं है तो रिक्त सीटों को ओ.बी.सी. श्रेणी के आवेदकों द्वारा भरा जाएगा।

d) यदि पात्र आवेदक उपरोक्त तरीके से तीन आरक्षित श्रेणियों में ऊपर के चरणों में उपलब्ध नहीं हैं तो रिक्त सीटों को पात्र अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों द्वारा भरा जाएगा।

e) ई.डब्ल्यू.एस. की खाली सीटों को अनारक्षित श्रेणी के आवेदक द्वारा भरा जायेगा।

विज्ञापन की शेष नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी

7/3/22

मुख्यकार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता,
स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)